

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

106

प्रेषक,

मो. सलीम,  
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
मधुबनी/मुजफ्फरपुर/बेगुसराय/गोपालगंज/नवादा/पूर्वी चंपारण(मोतिहारी) ।

पटना, दिनांक :- 29.2.16

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण- मांग संख्या-26उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-1455 दिनांक 18.05.15 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित " बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू. 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र.सं.	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	मधुबनी	35	175000
2	तदैव	मुजफ्फरपुर	30	150000
3	तदैव	बेगुसराय	23	115000
4	तदैव	गोपालगंज	27	135000
5	तदैव	नवादा	13	65000
6	तदैव	पूर्वी चंपारण(मोतिहारी)	73	365000
कुल योग			201	1005000

कुल आवंटित राशि रूपये दस लाख पाँच हजार मात्र ।

- वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(मो. सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार  
पटना

ज्ञापांक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

106

पटना, दिनांक 29.2.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो. सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार

\*स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

106

पटना, दिनांक

29.2.16

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/  
\*(संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी)/संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित सहायक श्रमायुक्त/  
संबंधित श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/  
प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त, शोध एवं प्रशाखा-01 श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-71 (श्रम पक्ष)  
दि.-26.02.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

(मो० सीलीम)  
श्रम आयुक्त, बिहार।  
29/02/16